न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 545/2016

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. अनवर अहमद पुत्र रमजानजी जाति–कुरैशी मुसलमान निवासी–रास, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि जिला कलक्टर, पाली। 2. तहसीलदार (भूअभिलेख) जैतारण तहसील–जैतारण। 3. पटवारी हल्का–रास प्रथम, तहसील–जैतारण पाली। 4. व्यवस्थापक एमजीबी बैंक शाखा–रास, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.24/10/2016

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 05/03/2020

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा– ग्राम रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज. की सीमा में कृषि भूमि खसरा नंबर 185 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की वाके है। वक्त सेटलमेंट के वादी के पिता का नाम लाला दर्ज कर दिया गया है जो एक लेखनीय भूल है। वादी के पिता का वास्तवकि नाम रमजानजी है और इसी वल्दियत अनुसार वादी का राशन कार्ड, राजस्थान मरुधरा बैंक का खाता, इसी अनुसार आधार कार्ड में वादी की वल्दीयत रमजान जी दर्ज है तथा वादी को राष्ट्रीय सामाजिक योजना के तहत जिला कोषाधिकारी पाली के द्वारा जो पेन्शन आदेश जारी किया उसमें भी वादी की वल्दीयत रमजान जी दर्ज है। वादी का ग्राम रास की आबादी में रहवासी मकान का पट्टा भी वादी की वल्दीयत रमजानजी दर्ज कर ग्राम पंचायत रास ने जारी किया है। वादी ने अपने उक्त रहवासी मकान में विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन ले रखा है जो भी वादी की इसी वल्दीयत रमजानजी दर्ज है। इस प्रकार वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 185 के संबंध में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी की वल्दीयत लाला दर्ज की गई है जो एक बोनाफाईड मिसटेक लेखनीय भूल है इसलिए उपरोक्त अनुसार वादी की वल्दीयत लाल के स्थान पर रमजानजी दर्ज की जावें। इस तरह की घोषणा का वाद वादी की ओर से पेश है। उपरोक्त सभी दस्तावेज की फोटो प्रतियां साथ पेश हैं वादी के

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

पिता को घर, मोहल्ला, गांव में दुसरा नाम लाल के नाम से भी पुकारते जानते थे इसलिए उनके बोलते नाम के आधार से तत्कालीन सेटलमेंट विभाग ने लाला दर्ज कर दिया जबकि वास्तविक नाम रमजानजी ही है। सेटलमेंट के दौरान कोई भी इन्द्राज किया जाता है तो ऐसे इन्द्राज के राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती हेतु नियमित वाद के माध्यम से ही सक्षम कोर्ट में वाद दायर कर सक्षम कोर्ट के निर्णय अनुसार ईन्द्राज दुरूस्त किया जा सकता है। इसलिये वादी की वल्दीयत की दादरसी हेतु यह घोषणा का नियमित वाद माननीय न्यायालय में पेश है। बिनाय वाद घोषणा वादी द्वारा 80 सीपीसी का नोटिस अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 22.06.2016 को जरिये डाक प्रतिवादीगण को भेजना व प्रतिवादीगण को क्रमशः दिनांक 24.06.2016 व दिनांक 26.06.2016 को उक्त नोटिस प्राप्त होने पर बमुकाम रास जैतारण में पैदा हआ। जो अन्दर म्याद व अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। तहसीलदार,जैतारण ने जवाबदावा पेश किया, जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 04 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया, सामिल मिसल है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा में व्यक्त किया कि वादी ने अपने पिता का नाम लाला के बजाय रमजान दर्ज करवाने के सम्बन्ध में निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में भू अभिलेख निरीखक रास व पटवारी हल्का रास प्रथम से जाचं करवाई गई। संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार लाला व रमजान एक ही व्यक्ति है। गांव में बोलचाल की भाषा में रमजान को लाला कह कर पुकारते थे। वादी के सभी साक्ष्य दस्तावेजों में पिता का नाम रमजान दर्ज है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वादी द्वारा शपथ-पत्र पर अपने वादपत्र का समर्थन करते हुए कथन किया है कि उसके पिता का बोलचाल का नाम लाला था, तथा इसी आधार पर तत्कालीन भू-प्रबंध अधिकारियों ने भू-अभिलेख में लाला नाम इन्द्राज कर दिया, जबकि लाला का वास्वविक नाम रमजान था इसी वल्दियत के अनुसार वादी अनवर के अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, आरएमजीबी का खाता, पेंशन आदेश आदि जारी हुए है।

हमनें उक्त प्रकरण में तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा तहसीलदार, जैतारण के पंत्राक/भू.अ./20/432 दिनांक 10.02.2020 का अवलोकन किया। हमने तहसीलदार, जैतारण द्वारा पटवारी रास-प्रथम तथा भू अभिलेख निरीक्षक, रास की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया जिसमें यह कथन किया गया है कि लाला व रमजान एक ही व्यक्ति था रमजानखां को बोलचाल की भाषा में लाला कहकर पुकारते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि पश्चिमी राजस्थान में दौराने बंदोबस्त तथा बाद में भी शिक्षा का स्तर बेहद कम होने से लोगों को बोलचाल में सामान्यतः आधे

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

अधूरे, उपाधियुक्त, घरेलू नामों से पुकारा जाता था तथा यह संभव है कि बंदोबस्त के दौरान आरम्भिक काल में भू-अभिलेख तैयार करते समय काश्तकारों के पास नाम, पता के संबंध में अधिकृत दस्तावेज या शैक्षणिक प्रमाणपत्र के अभाव में प्रायः बोलचाल के नामों का ही इन्द्राज कर दिया जाता था। राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर भू-अभिलेखों में काश्तकारों के आधे-अधूरे एवं अपमानजनक नामों को विलोपित कर सम्मानजनक नाम दर्ज किये जाने बाबत निर्देश दिये जाते रहे है। हस्तगत प्रकरण में हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि वादी अनवर के पिता का वास्तविक नाम रमजानखां है तथा रमजान एवं लाला वस्तुतः एक ही व्यक्ति है। अतः हम भू-अभिलेखों में वादी के पिता के तौर पर दर्ज लाला के स्थान पर सही प्रविष्टि रमजानखां दर्ज किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम-रास प्रथम, पटवार हल्का-रास प्रथम, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नंबर 185 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में खातेदार के रूप में दर्ज वादी अनवर के पिता का नाम " लाला" के स्थान पर सही नाम " रमजान खां " दुरूस्त किये जानें की घोषणा की जाती है, तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/03/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादी ::-	बनाम	-:: प्रतिवादी ::-
1. अनवर अहमद पुत्र रमजान जाति-कुरैशी मुसलमान निवासी-रास, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज.।		1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि जिला कलक्टर, पाली। 2. तहसीलदार (भूअभिलेख) जैतारण तहसील-जैतारण। 3. पटवारी हल्का-रास प्रथम, तहसील-जैतारण पाली। 4. व्यवस्थापक एमजीबी बैंक शाखा-रास, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 545/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम-रास प्रथम, पटवार हल्का-रास प्रथम, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नंबर 185 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में खातेदार के रूप में दर्ज वादी अनवर के पिता का नाम " लाला" के स्थान पर सही नाम " रमजान खां " दुरूस्त किये जावें की घोषणा की जाती है, तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/03/2020 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	01	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	04	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.04.11 21:11:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: